राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग
खाद्य भवन, भू–तल, शासन सचिवालय, जयपुर–302005

पत्रांकः एफ 5(1) आ.प्र. एवं स.आ./पशु शिविर/2018/ 3671-84 जयपुर,दिनांक 15.3.2018

जिला कलेक्टर (आ.प्र. एवं सहायता),
बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चूरू, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर,
हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, झुन्झुनू, जोधपुर, नागौर, सवाईमाधोपुर।

विषयः– खरीफ सम्वत् 2074 में सूखाग्रस्त जिलों में पशु शिविर संचालन के संबंध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक एफ.1(4) आ.प्र.एवं सहा./सामान्य/2017/12930–49 दिनांक 16.11.2017 से आपके जिले के ग्रामों को गम्भीर सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। यह अधिसूचना अभी दिनांक 15.5.2018 तक प्रभावी है। अभाव सम्वत् 2074 में गम्भीर सूखाग्रस्त घोषित जिलों में पशु शिविर संचालन करने हेतु भारत सरकार के पत्रांक 32–7/2014 दिनांक 08.04.2015 को जारी राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के मानदण्डों के अनुसार दिशा–निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान एफेक्टेड एरियाज (सस्पेंशन आफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट, 1952 के अन्तर्गत अभावग्रस्त गांवों में लघु एवं सीमान्त कृषकों द्वारा छोड़े गये पशुओं के संरक्षण हेतु पंजीकृत गौशालाओं को पशु शिविर के रूप में घोषित कर पशु शिविर संचालन करने के लिये राहत सहायता की स्वीकृति जारी करने हेतु जिला कलेक्टर्स को अधिकृत किया गया है।

इस सम्बन्ध में निम्न दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावेः–

1 अभाव अवधि के दौरान **पशुशिविर के रूप में परिवर्तित गौशालाएं** लघु एवं सीमान्त कृषकों द्वारा छोड़े गये पशुओं के लिए अधिसूचना अवधि तक पशुशिविर के रूप में कार्य करेंगी।

2 **इन गौशालाओं को पशुशिविर घोषित किये जाने के उपरान्त ही** केवल अभाव अवधि में बढ़े हुए पशुओं (लघु एवं सीमान्त कृषकों द्वारा छोड़े गये) हेतु ही आपदा मोचन निधि से राहत सहायता देय होगी।

3 जिला कलक्टर विभागीय दिशा–निर्देश जारी होने के पश्चात् अभाव अवधि तक एस.डी.आर.एफ. नॉर्म्स के अनुसार पशुशिविर के रूप में परिवर्तित/घोषित गौशालाओं के प्रस्तावों की ही राहत सहायता स्वीकृत करेंगे, ऑफ लाईन प्राप्त प्रस्तावों पर कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी।

4 इस प्रकिया के तहत घोषित पशुशिविर संचालकों द्वारा राहत सहायता हेतु ऑनलाईन आवेदन करने के लिए **"www.sso.rajasthan.in"** पर रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक होगा। तत्पश्चात् विभागीय एप्लीकेशन **"dmrd"** के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा।

विभागीय एप्लीकेशन पर ऑनलाईन आवेदन **दिनांक 16 मार्च, 18 को प्रातः 11.00 बजे** से प्रारम्भ किया जावेगा। घोषित पशुशिविरों को आवेदन करते समय पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं शपथ–पत्र (प्रारूप संलग्न) पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना आवश्यक है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्राप्त आवेदन को सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा एक सप्ताह के भीतर पशु संख्या का प्रमाणीकरण एवं आवेदन–पत्र की जांच कर अपनी अनुशंषा सहित प्रस्ताव जिला कलक्टर को ऑनलाईन ही अग्रप्रेषित करेंगे। **यदि तहसीलदार घोषित पशुशिविर के आवेदन की तहसील में प्राप्ति तिथि से एक सप्ताह के भीतर जांच कर प्रस्ताव का निस्तारण/जिला कलक्टर को प्रेषित नहीं करता है तो जिला कलेक्टर विलम्ब के लिए तहसीलदार की जिम्मेदारी तय कर अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगे तथा की गई कार्यवाही से विभाग को सूचित करेंगे।**

5 जिला कलक्टर कार्यालय में तहसील से पशुशिविर राहत सहायता प्रस्ताव प्राप्त होने पर जिला कलक्टर सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त प्रस्ताव का निस्तारण/स्वीकृति जारी करेंगे। यदि प्रकरण स्वीकृति योग्य पाया जाता है तो एक माह की अवधि के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी करेंगे। एक सप्ताह में प्रकरण का निस्तारण नहीं होने की स्थिति में सॉफ्टवेयर द्वारा प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही ब्लॉक हो जायेगी। उक्त लम्बित/ब्लॉक हुए प्रस्ताव के सम्बन्ध में जिला कलक्टर विलम्ब के लिए उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अपेक्षित अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए विभाग को प्रेषित करेंगे व विभाग विलम्ब के औचित्य का परीक्षण कर प्रस्ताव के स्वीकृति/निस्तारण हेतु जिला कलक्टर को अधिकृत करेगा। जिला कलक्टर अभावग्रस्त जिलों में अवस्थित घोषित पशुशिविरों को दिशा–निर्देशों के अनुसार पशुशिविर राहत सहायता की प्रशासनिक स्वीकृति जारी करना प्रारम्भ करेंगे, परन्तु 30 अप्रेल, 2018 के पश्चात् राहत सहायता की कोई भी स्वीकृति जारी नहीं करेंगे।

6 प्रथमतः घोषित पशुशिविर राहत सहायता हेतु स्वीकृति 30 दिन की अवधि के लिए जारी की जावे। **जिसे एस.डी.आर.एफ. नॉर्म्स के अनुसार राज्य कार्यकारी समिति द्वारा बढ़ाया जा सकेगा।**

7 **घोषित पशुशिविरों को राहत सहायता भुगतान की प्रक्रिया को संशोधित करते हुए राज्य कार्यकारी समिति द्वारा स्पष्ट किया गया है कि पशुशिविरों को किसी भी परिस्थिति में राहत सहायता तहसीलदार के प्रथम निरीक्षण से देय नहीं होगी। जिला कलक्टर द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति की दिनांक से ही राहत सहायता का भुगतान किया जावेगा।**

8 **घोषित पशुशिविरों की अन्यत्र संचालित शाखा को राहत सहायता की स्वीकृति के लिए मान्य नहीं किया जावे।**

9 जिला कलक्टर द्वारा जिला स्तर पर जारी की गई स्वीकृति को संदर्भित करते हुए सविवरण बजट की ऑनलाईन मांग विभाग को प्रस्तुत की जावेगी। विभाग द्वारा बजट आवंटन के पश्चात् यथा प्रक्रिया समुचित प्रमाणीकरण के पश्चात् जिला कलक्टर द्वारा राहत सहायता का भुगतान किया जाएगा।

10 **सहायता दर–**

सहायता निर्देशिका के बिन्दु संख्या 6.2.6 में संशोधन अनुसार घोषित पशुशिविरों द्वारा केवल अभाव अवधि के दौरान बढ़े हुए पशुओं (लघु एवं सीमान्त कृषकों द्वारा छोड़े गये पशुओं हेतु) संधारित पशुओं में बड़े पशु हेतु रू. 70 तथा छोटे पशु हेतु रू. 35 प्रति पशु प्रतिदिन की दर से राहत सहायता देय होगी।

11 **पशु आहार–**

(1) **आर.सी.डी.एफ./राजफैड** द्वारा निर्मित अथवा **आर.सी.डी.एफ./राजफैड** द्वारा क्रय किया जाकर पशुशिविरों हेतु विक्रय किये गये पशु आहार हेतु ही राहत सहायता देय होगी।

(2) निर्धारित दर से राहत सहायता उसी स्थिति में स्वीकृत किया जावे, जबकि घोषित पशुशिविर संचालकों द्वारा संधारित किये जा रहे पशुओं को चारे के साथ–साथ क्रमशः 1 कि.ग्रा.पशु आहार बड़े पशुओं हेतु तथा 1/2 कि.ग्रा. पशु आहार छोटे पशुओं को उपलब्ध कराया जाता है। यदि निर्धारित मात्रा में पशु आहार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो **आर.सी.डी.एफ./राजफैड** की प्रचलित बाजार दर से पशु आहार की राशि बड़े पशु तथा छोटे पशु के हिसाब से अनुदान बिलों मे से काटी जाकर शेष राशि ही राहत सहायता स्वरूप स्वीकृत की जावे।

(3) घोषित पशुशिविरों में जितने पशुओं की स्वीकृति जारी की जावे, उन पशुओं के पेटे एक माह में पशु आहार हेतु जितनी राशि की आवश्यकता है, उतनी राशि जिला कलक्टर के द्वारा ऑनलाईन बजट की मांग पर दे दी जावेगी। यह राशि उनके द्वारा **आर.सी.डी.एफ./राजफैड** को अग्रिम दी जावेगी। उक्त राशि के आधार पर **आर.सी. डी.एफ/राजफैड** के द्वारा पशु आहार, संबंधित पशु शिविर में उपलब्ध कराया जायेगा। तत्पश्चात् उन पशु शिविरों को एस.डी.आर.एफ. नॉर्म्स के अनुसार बिल प्राप्त होने पर पशु आहार की राशि की कटौति की जाकर जिला कलक्टर द्वारा शेष राशि पशु शिविर संचालक को दे दी जावेगी।

12 **निरीक्षण मापदण्ड–**

राहत सहायता हेतु अनुमत सभी घोषित पशुशिविरों का माह में एक बार जिले में पदस्थापित विभिन्न अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जावे। निरीक्षण के लिए न्यूनतम मापदण्ड निम्न प्रकार से निर्धारित हैं:–

क्र.सं.	नाम अधिकारी	न्यूनतम निरीक्षण	कार्यक्षेत्र
1	तहसीलदार/विकास अधिकारी	25 प्रतिशत	तहसील/पं.समिति
2	उपखण्ड अधिकारी	10 प्रतिशत	उपखण्ड
3	अति.जिला कलक्टर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सम्मिलित रूप से)	5 प्रतिशत	जिला
4	जिला कलक्टर	यथासम्भव अधिकाधिक	जिला
5	पशुपालन/चिकित्सा के अधिकारी	प्रत्येक गौशाला,	तहसील/पं.समिति

		माह में 2 बार	

(i) घोषित पशुशिविरों की संचालन समिति में जिला कलक्टर द्वारा सदस्य के रूप में एक प्रतिनिधि मनोनीत किया जावे तथा यह निर्देशित किया जावे कि पशुशिविर संचालन समिति की प्रत्येक बैठक की दिनांक की सूचना ऐसे प्रतिनिधि को समय पर दी जावे एवं वित्तीय प्रकृति से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णय उसी बैठक में लिये जावे, जिसमें जिला कलक्टर के प्रतिनिधि उपस्थित हों।

(ii) घोषित पशुशिविरो के लेखे जोखे पृथक रूप से सही एवं भली प्रकार से संधारित कराये जाकर मौके पर उपलब्ध रखे जावेंगे। पशुशिविरों में निम्नलिखित रजिस्टरों का संधारण पृथक रूप से किया जावे–

क– खरीद एवं स्टॉक रजिस्टर
ख– अभाव अवधि के दौरान बढ़े हुए पशुओं का रजिस्टर (लघु एवं सीमान्त कृषकों द्वारा छोड़े गये पशु)
ग– दैनिक खर्च रजिस्टर
घ– दैनिक खर्च का हिसाब

13 घोषित पशुशिविरों हेतु राहत सहायता स्वीकृत हो जाने के उपरान्त जिला कलक्टर प्रत्येक 15 दिवस में उक्त गतिविधि में हुई प्रगति से निर्धारित प्रारूप में विभाग को अवगत करायेंगे।

14 यदि घोषित पशुशिविरों के खिलाफ कोई जांच विचाराधीन है तो उन संस्थाओं की जांच के निस्तारण के पश्चात् ही राहत सहायता स्वीकृत की जावे।

15 यह भी सुनिश्चित करें कि स्वीकृत पशुशिविरों में पशु वृद्धि के लिए अतिरिक्त जिला कलक्टर के स्तर के अधिकारी द्वारा निरीक्षण कराया जावे एवं निरीक्षण के दौरान पशुओं की संख्या, पानी की व्यवस्था, चारा खिलाने की व्यवस्था, संधारित रजिस्टरों व अन्य सुविधाऐं आदि के विभागीय दिशानिर्देशों के अनुसार सही पाये जाने के उपरान्त पशु बढ़ोतरी के प्रस्तावों की अनुशंषा से स्वयं संतुष्ट होने के पश्चात् आवश्यक कार्यवाही की जावे। **राहत सहायता राशि के बिल एक पखवाड़े में प्रस्तुत किये जायेंगे तथा पशुओं की संख्या में वृद्धि की वास्तविक दिनांक से ही राहत सहायता देय होगी।**

16 घोषित पशुशिविरों का विभाग/जिला कलक्टर द्वारा आकस्मिक निरीक्षण/विडियोग्राफी करवायी जा सकेगी। आकस्मिक निरीक्षण में अनियमितता पाई जाने पर संबंधित संस्था/संबंधित कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध कानूनी/विभागीय कार्यवाही की जावेगी।

17 अभाव अवधि के दौरान **बढ़े हुए पशुओं (लघु एवं सीमान्त कृषकों द्वारा छोड़े गये)** के लिए गौशालाओं द्वारा पृथक बाड़ा बनाया जाकर इसका सम्पूर्ण रिकॉर्ड पृथक से संधारित करना आवश्यक होगा।

18 **दिशा–निर्देशों की प्रति सम्बन्धित माननीय विधायक को भी प्रेषित की जावे।**

19 अभावग्रस्त जिलों में संचालित घोषित पशुशिविरों को राहत सहायता हेतु ऑनलाईन आवेदन करने हेतु यथासमय उचित माध्यम द्वारा सूचित करना भी सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

15/3

शासन सचिव

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहीं हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राज0., जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता, राज.,जयपुर
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी ,राज..जयपुर।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राज0, जयपुर।
5. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, सचिव, पशुपालन एवं गोपालन, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
8. निजी सचिव, सम्भागीय आयुक्त, अजमेर,, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर।
9. निजी सचिव, जिला प्रभारी सचिव, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चूरू, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, झुन्झुनू, जोधपुर, नागौर, सवाईमाधोपुर।
10. वित्तीय सलाहकार, आ0प्र0 एवं सहायता विभाग, राज0, जयपुर।
11. समस्त अधिकारीगण, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
12. प्रोग्रामर, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर।
13. गार्ड फाईल।

शासन उप सचिव

शपथ पत्र/बन्ध पत्र का (Affidavit/Bond) प्रारूप

मैं .... पुत्र/पुत्री .... उम्र.................

निवासी .... तहसील .... जिला का निवासी हूं। मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूं, कि

1. मेरी संस्था का नाम .... एवं संस्था का पंजीयन संख्या .... यह है।
2. मेरे घोषित पशुशिविर के संचालन का स्थान .... तहसील का नाम .... जिले का नाम .... यह है।
3. मेरे घोषित पशुशिविर में वर्तमान में अभाव अवधि के दौरान लघु एवं सीमान्त कृषकों द्वारा छोड़े गये...... ....बड़े .... छोटे कुल .... पशु संधारित है।
4. मुझे ज्ञात है कि जिला कलेक्टर/राज्य स्तर से मेरे घोषित पशु शिविर का आकस्मिक निरीक्षण वीडियोग्राफी करवाई जा सकेगी।
5. मैं भलीभांति परिचित हूं कि आकस्मिक निरीक्षण/वीडियोग्राफी के दौरान बताई गई पशु संख्या में यदि कमी/अनियमितता पायी जाती है तो मेरे व मेरी संस्था के विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।
6. मैं पशु शिविर की स्वीकृति में उल्लेखित सभी शर्तों की पूर्णतः पालना करूंगा।
7. जिले द्वारा समय–समय पर दी गई सभी शर्तों का मैं पूर्णतः पालना करूंगा।

शपथग्रहिता

मैं.. पुत्र/पुत्री .... उम्र................................

निवासी .... शपथपूर्वक बयान करता हूं कि उपर्युक्त संख्या 1 से 6 तक दिया गया विवरण सत्य है।

शपथग्रहिता